

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
फैक्स नं. 07744-225158, ई-मेल-pmsactdrjn@gmail.com

क्रमांक / 687 / आज्ञाक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2026-27 राजनांदगांव, दिनांक 18 / 06 / 2026
प्रति,

अधिष्ठाता / प्राचार्य
शा.अशा. महाविद्यालय. / इंजीनियरिंग / मेडिकल कालेज / नर्सिंग
आई.टी.आई. / पालिटेक्निक / बी.एड.कालेज / उद्यानिकी / कृषि / वेटनरी / फॉर्मेसी

जिला- राजनांदगांव।

विषय:- वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) के आवेदन प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक करने की तिथि की सूचना

संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / STU / 171/2026-SCHOLARSHIP SECTION नवा रायपुर दिनांक 15.06.2026।

—000—

राजनांदगांव जिले में संचालित शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, उद्यानिकी फॉर्मेसी आदि संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उन संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है, कि शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) महाविद्यालय स्तर के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/वेबसाइट> पर ऑनलाईन की जा रही है।

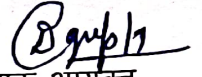
जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:-

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि	रिमार्क
नवीनीकरण	30 जून 2026 तक	1. अशासकीय संस्थाओं - प्राप्त आवेदनों का परीक्षण की जिला को भेजना 07 दिवस अधिकतम	1. अशासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 08 दिवस	18 जुलाई 2026	आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	
नवीन	30 अगस्त 2026 तक	2. शासकीय संस्थाओं - प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला को भेजना 10 दिवस अधिकतम	2. शासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरान्त राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 05 दिवस	18 सितम्बर 2026	
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	

वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिये 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिये 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किये जायेंगे। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाये जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।

नोट:- छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु.1.00 लाख प्रतिवर्ष। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई प्रमाण पत्र, छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो आधार सीडेड ऐक्टिव बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को **NSP PORTAL** से **OTR (ONE TIME REGISTRATION)** प्राप्त करना आवश्यक हैं। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता हैं।
वर्ष 2026-27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (Hoi) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का **Biometric-Authentication** किया जाना अनिवार्य है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

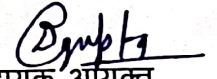


सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास राजनांदगांव

पृ० क्रमांक/688/ आजक/आ.ला.पो.मै.छा./2026-27 राजनांदगांव, दिनांक 18/06/2026
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।



सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास राजनांदगांव